



न्यायालय मानोराजस्व मण्डल, मोप्र० ग्वालियर

R 0001 - I - 16

प्रकरण क्रमांक - दो/2016 निगरानी

जगोले पुत्र दुल्ला रैकवार

मुत्यारआम

अरबिन्द पुत्र जगोले बैरवारवार

निवासी ग्राम जतारा, तहसील जतारा

जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश

—आवेदक

श्री अमृत नाथ के  
द्वारा आज 30.12.16 को  
प्रस्तुत

उप अफ कोड ग्वालियर  
राजस्व मण्डल, मोप्र०

विरुद्ध

1 - मोप्र० शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़

2 - तहसीलदार जतारा जिला टीकमगढ़ . —— अनावेदकगण

3 - उप खोल अधीक्षक, टीकमगढ़

( श्रीमान तहसीलदार, जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण  
क्रमांक 91 अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक  
19-6-2016 के विरुद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य  
प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 )

क०प०३०-२

—2—

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—4401—एक / 2016

जिला—टीकमगढ़

जगोले रैकवार व अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पंचायत अधिकारी का स्वाक्षर
12—03—2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक की ओर से श्री जी.पी. नायक अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>3. यह निगरानी तहसीलदार, जतारा, जिला—टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 91 / अ—12 / 2015—16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 19—06—2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी जतारा को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये।</p> <p>(3)</p>	<p style="text-align: right;">(आम.के. जैन) संवाद 12/03/19</p>